

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 6335 / 1354 (सहायक / एच.सी.)

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2021
31

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पश्चिमी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/
एन०आई०जी०एस०टी०/मुद्रण क्षेत्र।

निदेशक: योडीय एवं अनुसंधान शाखा/छत्तीसगढ़ जी०डी०सी०/मध्य प्रदेश जी०डी०सी०/पश्चिम बंगाल एवं
सिक्किम जी०डी०सी०/केरल एवं लक्षद्वीप जी०डी०सी०/बिहार जी०डी०सी०/पूर्वी उत्तर प्रदेश,
जी०डी०सी०/गुजरात दमन एवं दीव जी०डी०सी०/पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़
जी०डी०सी०/उड़ीसा जी०डी०सी०/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०)।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु
निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Bains Prasad Tinker	WZ	WZ
2.	Smt. Preeti Daniel	G&RB	G&RB
3.	Shri Nitin Kumar Jain	Chh.GDC	Chh.GDC
4.	Shri Adil Khan (PH)	G&RB	UK & WUP GDC
5.	Shri Ved Prakash Gautam	MP GDC	MP GDC
6.	Shri Ramdeen Yadav	SGO	SGO
7.	Shri Shubhesh Kumar	WB & Sikkim GDC	WB & Sikkim GDC
8.	Shri Sooraj R.	K&LGDC	K&LGDC
9.	Shri Md. Shabbar Ali Tayab	Bihar GDC	Bihar GDC
10.	Shri Shailendra Kumar	Bihar GDC	Bihar GDC
11.	Shri Amit Kumar Verma	East UP GDC	East UP GDC
12.	Shri Yogesh Dobhal	SGO	** SGO
13.	Shri Amitabh(SC)	GDD GDC	GDD GDC
14.	Shri Vipin Ghildiyal	SGO	SGO
15.	Shri Sikander Singh (SC)	Pb, Har & Chd. GDC	HPGDC
16.	Shri Md. Sarwar Imam (OBC)	Bihar GDC	Bihar GDC
17.	Shri Rajendra Kumar Pandey	MPGDC	Central Zone
18.	Shri D.Chenna Kesava Rao (SC)	K&L GDC	K&L GDC
19.	Shri Munideo Ram (SC)	MP GDC	MP GDC
20.	Shri Subrat Dalei (SC)	Orissa GDC	Orissa GDC
21.	Shri Lakku Vinayaka (SC)	SPG	NIGST
22.	Smt. K.Arunasree (ST)	NIGST	NIGST
23.	Smt. Ranjit Kaur (SC)	HPGDC	Pb, Har & Chd. GDC

** चूंकि श्री योगेश डोभाल का चयन पटल चित्रक के पद पर पूर्व में ही हो चुका है। अतः उनसे लिखित रूप में उनकी सहमति ले ली जाये कि वह पटल चित्रक के पद पर ही रहना चाहते हैं अथवा सहायक की पदोन्नति चाहते हैं। उनकी सहमति/असहमति के पश्चात ही तदनुसार उनके पदोन्नति आदेश प्रभवी किये जायें।

Contd....2/-

30/12

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।
3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 29-01-2022 तक अवश्य सूचित करें ।
4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर०(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Est.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।


(डा० यू०एन० मिश्र) 11/2/21
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म०स०का० ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म०स०का०/प्रशासन, म०स०का०/एच०आर०, म०स०का०/तकनीकी, म०स०का०/ पश्चिमी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र /मध्य क्षेत्र/ /पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/मुद्रण /एन०आई०जी०एस०टी० ।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
5. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
6. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०) ।
7. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
8. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
9. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
10. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:
Name:
Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:
कर्मचारी का नाम:
कार्यालय:



भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट:Website:

www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल:E-Mail: sgo.soi@gov.in

sgo.conf.soi@gov.in

सं०सी- २७८० /1354(सहायक/एच.सी.)



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

दिनांक: 11 जून, 2021

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र ।

निदेशक: झारखण्ड जी०डी०सी०/ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम जी०डी०सी०/आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी० ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Satya Narayan Singh	Jharkhand GDC	Jharkhand GDC
2.	Shri Taher Ahmed Laskar	TMMGDC	TMMGDC
3.	Smt. M. Premalata(SC)	AP&T GDC	AP&T GDC

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 10.07.2021 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

30/6


....2/-

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

8. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

9 पदोन्नत सभी अर्थव्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।


(डा0 यू0एन0 मिश्र) 11/6/21
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता ।
2. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
3. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
4. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
5. ई0एच0आर0एम0एस0 ।
6. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।
7. इंचार्ज, वेब एडमिन ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट:Website:

www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल:E-Mail: sgo.soi@gov.in

sgo.conf.soi@gov.in

सं०सी-790/1354(सहायक/एच.सी.)



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय

OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA

डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,

देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।

DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

दिनांक: 08 मार्च, 2021

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र ।

निदेशक: झारखण्ड जी०डी०सी०/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Sujit Sarkar	Eastern Zone, Kolkata	Eastern Zone, Kolkata
2.	Shri Shailendra Kumar	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi
3.	Shri Babu Lal (SC)	G&RB, Dehra Dun	G&RB, Dehra Dun

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये किवे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 07.04.2021 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा तथा उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

Contd....2/-

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
8. वर्ष 2020 में उपरोक्त पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने अथवा नहीं देने के सम्बन्ध में कार्रवाई इस कार्यालय के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह 11) दिनांक 13-08-2014 के अन्तर्गत मंत्रालय से वांछित निर्णय प्राप्त होने के अनुसार की जायेगी ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत सभी अर्थव्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।



(अमरदीप सिंह)

कर्मल

अपर महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13-08-2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय: